

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

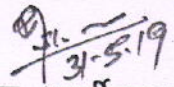
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1224 /2019 दिनांक : 1.6.2019

श्रीमती पूर्णिमा गौड (RJ0420), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही को दिनांक 10.06.2019 से 21.06.2019 तक 12 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.06.2019 से 09.06.2019 एवं 22.06.2019 से 23.06.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती गौड की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



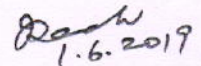
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/52/2002/5250

दिनांक : 1.6.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही को उनके पत्रांक 1953 दिनांक 17.05.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती पूर्णिमा गौड (RJ0420), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरोही ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही ।



सहायक रजिस्ट्रार